

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal)  
No. 666/2026  
URN: SOSA / 1287U / 2026

In

S.B. Criminal Appeal No.740/2026

Harkesh Son Of Girraj, Resident Of Kakla, Police Station Nadauti,  
District Karauli.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p.
2. Ramkunwar S/o Shri Badri, Resident Of Kakada, Police  
Station Nadauti, District Karauli.

----Respondents

---

|                   |   |                                                |
|-------------------|---|------------------------------------------------|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Krishna Singh                              |
| For Respondent(s) | : | Mr. Shree Ram Dhakad, P.P.<br>Mr. Rahul Tiwari |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI**

**Order**

**16/07/2026**

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय—अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम—2, हिण्डौन सिटी, जिला करौली(राजस्थान) द्वारा फौजदारी सेशन प्रकरण संख्या—31/2018, सरकार बनाम हरकेश वगैरह में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 18.03.2026 के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम तीन वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को इस प्रकरण में अधिकतम 03 वर्ष के कारावास के दण्ड से दंडित किया गया है, उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी-अभियुक्त दौरान विचारण जमानत पर आजाद रहा है तथा वर्तमान में विचारण न्यायालय द्वारा उसकी सजा एक माह के लिए स्थगित की गई है। उनका यह भी तर्क है कि प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं तथा अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, अतः प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/-रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रुपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **17.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित

किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **हरकेश पुत्र गिराज** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI/70